म.प्र. राज्य की 37 जिला सहकारी कैन्द्रीय बैंकों में क्लर्क/कम्प्यूटर आपरेटर के 1634 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासियों से क्लर्क/कम्प्यूटर आपरेटर के 1634 पदों पर नियुक्ति हेतु आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

भर्ती प्रक्रिया का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार हैः—

गतिविधि	दिनांक
आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	01.03.2017
आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17.03.2017
आवेदन शुल्क	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए राशि रू. 800/— तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों लिये राशि रू 600/—
ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि	परीक्षा तिथि से लगभग 7 दिन पूर्व
ऑनलाइन परीक्षा—प्रारंभिक की तिथि	माह अप्रेल/ मई—2017
आनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि	परीक्षा होने के लगभग 3 दिन बाद
ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि	परीक्षा तिथि से लगभग 7 दिन पूर्व
मुख्य परीक्षा परिणाम घोषणा की संभावित तिथि	परीक्षा समाप्त होने के लगभग 3 दिन बाद

जिला सहकारी कैन्द्रीय बैंकों में कुल रिक्त पदों का विवरण
पदनाम – क्लर्क/कम्प्यूटर आपरेटर, श्रेणी–4

fjDr ink dh dy l[;k	vukjf{kr		vu lfpr tkfr		vu lfpr tutkfr		vU; fiNMk ox		fodykx		Hkrio lfud	
	i :"k	efgyk	i :"k	efgyk	i :"k	efgyk	i :"k	efgyk	vkjf{kr	vukjf{kr	vkjf{kr	vukjf{kr
1634	386	232	164	103	274	163	65	36	25 20 12 2	vukjf{kr v t tk v tk fiNMk	69 49 25 9	vukjf{kr v t tk v tk fiNMk
1634	386	232	164	103	274	163	65	36	59		152	

Details of Bank wise vacant post

Sr. No.	Name of DCCB	Total Vacant Post	Un eserved		SC		ST		OBC		Physically Handicaped								Ex Army Man							
											UR		ST		SC		OBC		UR		ST		SC		OBC	
			Male	Fem.	Male	Fem.	Male	Fem.	Male	Fem.	Male	Fem.	Male	Fem	Male	Fem	Male	Fem	Male	Fem.	Male	Fem	Male	Fem	Male	Fem
1	BALAGHAT	34	10	6	1	0	8	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
2	CHHINDWARA	50	9	5	4	3	14	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0
3	JABALPUR	36	15	7	4	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MANDLA	40	8	5	1	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
5	NARSINGHPUR	24	10	4	3	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SEONI	43	9	5	3	2	10	5	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
7	BHIND	58	18	12	6	4	0	0	5	4	1	1	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0
8	DATIA	52	17	11	7	5	1	0	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
9	GUNA	36	6	5	2	1	6	3	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
10	GWALIOR	52	17	9	7	4	2	0	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0
11	SHIVPURI	12	4	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KHARGONE	113	9	6	5	3	44	26	0	0	1	0	4	2	1	0	0	0	2	0	9	0	1	0	0	0
13	DHAR	53	1	0	2	2	24	16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0
14	INDORE	15	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	JHABUA	61	1	1	1	0	29	18	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
16	KHANDWA	54	3	1	3	2	23	14	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
17	BHOPAL	25	9	5	2	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
18	BETUL	37	9	4	1	1	10	6	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0

Sr. No.	Name of DCCB	Total Vacant Post	Un eserved		SC		ST		OBC		Physically Handicaped								Ex Army Man							
											UR		ST		SC		OBC		UR		ST		SC		OBC	
			Male	Fem.	Male	Fem.	Male	Fem.	Male	Fem.	Male	Fem.	Male	Fem	Male	Fem	Male	Fem	Male	Fem.	Male	Fem	Male	Fem	Male	Fem
19	RAISEN	55	11	9	6	4	6	5	3	2	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0
20	RAJGARH	53	18	12	7	5	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
21	VIDISHA	18	8	5	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	HOSHANGABAD	47	12	7	8	4	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
23	SEHORE	55	17	11	7	4	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0
24	REWA	50	16	7	4	2	6	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0
25	SATNA	26	8	5	2	1	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
26	SHAHDOL	28	4	2	1	1	7	5	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
27	SIDHI	50	9	5	9	7	4	3	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
28	SAGAR	36	9	6	4	3	2	2	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
29	DAMOH	36	6	3	8	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
30	PANNA	22	3	2	4	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
31	TIKAMGARH	35	11	7	5	4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
32	CHHATARPUR	51	17	10	7	4	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0
33	UJJAIN	48	8	6	14	8	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
34	DEWAS	60	16	10	5	4	6	3	4	3	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0
35	RATLAM	39	6	4	2	2	10	5	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
36	MANDSAUR	68	25	16	6	4	2	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0
37	SHAJAPUR	62	19	12	9	6	2	1	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0
	Total	**1634**	**386**	**232**	**164**	**103**	**274**	**163**	**65**	**36**	**21**	**4**	**17**	**3**	**11**	**1**	**2**	**0**	**69**	**0**	**49**	**0**	**25**	**0**	**9**	**0**

नोट – 1. अनारक्षित/आरक्षित (पुरूष) पदों पर संबंधित प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता अनुसार आवेदन किया जा सकेगा।

2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों पर आवेदन कर सकेंगे, परंतु उन्हें आरक्षण, उम्र एवं फीस में छूट प्राप्त नहीं होगी।

fu/kkfjr vgZrk,¡%

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान आवश्यक होगा।
2. निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हैः–
   1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
   2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
   3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा.
   4. शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज से मार्डर्न आफिस मेनेजमेंट कोर्स.
   5. शासकीय आई.टी. आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र.

उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी उपरोक्त के समकक्ष मान्य होंगीः–

1. बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस) एम.टेक/एम.ई. .(आई.टी./सी.एस.) इत्यादि।
2. ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेकनालॉजी इत्यादि।
3. बी.एस.सी./बी.कॉम. जिसमें कम्प्यूटर एक विषय के रूप में सम्मिलित हो मान्य नहीं किया जायेगा।

नोट – ऐसे अभ्यर्थी जो बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/ एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.), बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस), एम.टेक.(आई.टी./सी.एस.)/एम.ई.(आई.टी./सी.एस.) में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि धारित करते हैं, के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आवश्यक नहीं होगा।

पद का वेतनमान :

वेतनमान 5200–20200 : ग्रेड पे रू.1900/ कुल अनुमानित परिलब्धियॉं : रू. 15900 प्रतिमाह

आयु सीमा (01.01.2017 पर)

न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष

यथा अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1982 के पूर्व अथवा 01.01.1999 के बाद न हुआ हो (दोनों को मिलाकर)

अ.क्र.	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	महिला अभ्यर्थी	10 वर्ष
3	आवेदक, जो मध्य प्रदेश स्थित अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अर्थात् म.प्र.राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं में पूर्व से नियोजित हैं	5 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो	प्रतिरक्षा सेवा में वास्तविक रूप से पूर्ण की गई अवधि+ 3 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष
5	विकलांग	10 वर्ष

नोट :

1. दर्शाई गई अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए है।
2. जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें भर्ती की आगामी प्रक्रिया के समय आवश्यक प्रमाण–पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगी।
3. अभ्यर्थी आयु सीमा संबंधी छूट एक ही प्रवर्ग अंतर्गत प्राप्त कर सकेगा अर्थात् अभ्यर्थी अन्य प्रवर्गों के अंतर्गत दर्शायी गई अन्य छूटों को मिलाकर प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा ।
4. विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी की विकलांगता का स्तर 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
5. विकलांग श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह चयनित पद पर कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम है।
6. सहकारी साख संरचना में पूर्व से स्थाई रूप से नियोजित आवेदकों के लिये पेक्स एवं जिला बैंक स्तर पर नियोजित होने से संबंधित प्रमाण पत्र क्रमशः संबंधित पैक्स के सचिव एवं जिला बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा । म.प्र.राज्य सहकारी बैंक में पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों हेतु उक्त प्रमाण पत्र प्रबंध संचालक द्वारा जारी किया जावेगा।
7. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही प्रदान किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. यह विज्ञापन पंजीयक, सहकारी संस्थाऍं, म0प्र0 द्वारा पत्र क्रमांक साख/विधि/2014/2696, दिनांक 22.12.2014 से दी गई स्वीकृति के अनुसार जारी किया गया है ।

आवेदन कैसे करें :

विस्तृत दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया

1. आवेदन का पंजीकरण
2. परीक्षा शुल्क का भुगतान
3. फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्केन करना एवं अपलोड करना
4. अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश

रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी :

1. फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्केन करने के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्केन करें तथा इसे अपलोड करे।
2. अभ्यर्थी का अपना एक व्यक्तिगत ईमेल आईडी एवं मोबाईल नबंर होना चाहिए, जिसे चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक चालू रखना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना आवेदक को ई–मेल द्वारा भेजी जायेगी। परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए सतत् बैंक की वेबसाईट www.apexbank.in को समय–समय पर देखें। यदि अभ्यर्थी को ईमेल से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो इस संबंध में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी की कोई व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो ऑनलाइन आवेदन के पूर्व वह नई ईमेल आईडी बना लें तथा अपना एक व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी रखें, जो परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने तक सेवा में रहे।
3. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू. 800.00 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रू. 600.00 होगा। (जो वापसी योग्य नहीं होगा)
4. ऑनलाईन भुगतान के लिए बैंक द्वारा प्रभारित प्रक्रिया शुल्क अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करना

अभ्यर्थियों को ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउन लोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना पंजीकृत ईमेल पर आवेदकों को भेजी जायेगी। अभ्यर्थी लिंक को क्लिक करने पर प्रवेश पत्र डाउन लोड कर सकेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए (1) रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर (2) पासवर्ड/जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटोग्राफ, जिससे उसकी स्पष्ट पहचान प्रमाणित हो सके, प्रवेश पत्र पर चस्पा करना होगी, रजिस्ट्रेशन के लिए

जिस फोटोग्राफ का उपयोग किया गया था, उसी फोटोग्राफ का उपयोग प्रवेश पत्र पर किया जावे । परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति एवं फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति के साथ उपस्थित होना होगा । फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति ही स्वीकार की जावेगी ।

,l vkond tk ijh{kk gr fu/kkfjr le;] tk fd io'k i= ij vfdr gkxk] d mijkr mifLFkr gkr g] mUg ijh{kk e lfEefyr gku dh ik=rk ugh gkxhA lkekU; :i l ijh{kk dn ij mifLFkr gku dk le; ijh{kk ikjHk d ,d ?k.V io vFkok io'k i= ij mYyf[kr le;kulkj gkxk A fu/kkfjr ijh{kk vof/k Ql&1 gr 45 fefuV ,o Ql&2 gr nk ?kV dh gkxh] ijr vkond dk ijh{kk dn ij 3 l 4 ?kV dk le; ydj mifLFkr gkuk gkxk] ftlle mudk lR;kiu o vU; vkipkfjdrk,l 'kkfey gkxhA bl nkjku mUg ijh{kk l lcf/kr okfNr lHkh ey nLrkot bdVBk dj ykfxu o ykx vkQ lc/kh दिशा–निर्देश भी बताए जायेंगे।

बायोमेट्रिक डाटा – अधिकृत पहचान एवं प्रमाणीकरण :

ikFkfed ijh{kk e mRrh.k gku d i'pkr e[; ijh{kk e lfEefyr gku oky vH;fFk;k dk ck;kefVd MkVk ¼अंगूठा निशानी) और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ मुख्य परीक्षा के दिन संग्रfgr (Capture) fd;k tk;xkA mDr ck;kefVd MkVk ,o QkVkxkQ dk lR;kiu dkykrj e fd;k tk ldxkA ck;kefVd MkVk lR;kiu ikf/kdkjh }kjk lR;kiu d lc/k e fy;k x;k fu.k; ¼feyku gku ;k u gku d lc/k e½ vH;fFk;k d fy, vfre ,o ck/;dkjh gkxkA

प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु अभ्यर्थी निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें :–

- ;fn vxfy;k ij dkb dkfVx ¼LVEi L;kgh@egnh@jx vkfn½ g] rk ijh{kk@fu;fDr d fy, mifLFkfr d io Bhd l lkQ dj yA
- यदि अंगुलियों पर गंदगी/धूल है तो अंगुलियों की निशानी देने (बायोमेट्रिक) के पूर्व ठीक से धो लें तथा सुखा लें। यह सुनिश्चित dj y fd nkuk gkFkk dh vxfy;k l[kh gA
- यदि अंगुलियों में नमी है तो ठीक से पोंछ कर सुखा लें। यदि प्रथम अंगुली (अंगूठा) जिसका निशान yuk g] ;fn t[eh@{kfrxLr g rk rRdky dn d lcf/kr vf/kdkjh dk lfpr djA
- ,l idj.kk e vU; अंगुलियों, पैर के अंगूठे आदि के निशान लिये जा सकते हैं।

विकलांगता के कारण सहायक (स्क्राइब) उपयोग के दिशा–निर्देश

¼1½ ,l nf"Vckf/kr vH;Fkh ftudh y[ku dh xfr fdlh Hkh dkj.k l vfre :i l iHkkfor gk pdh g] Lo; d 0;; ij fuEu 'krk d v/khu vkuykbu ijh{kk d nkjku ,d lgk;d dh lok; y ldr gA ,l lHkh idj.kk e tgk lgk;d dh lok; yh tkrh g] fuEu fu;e ykx gkx %&

- vH;Fkh dk lgk;d dh 0;oLFkk Lo; d 0;; ij Lo; djuk gkxhA
- ftl lgk;d dh 0;oLFkk vH;Fkh }kjk dh xb g] ml mlh ijh{kk e vH;Fkh ugh gkuk pkfg,A ;fn mDr fu;e dk mYy?ku fdlh Hkh Lrj ij tkudkjh e vkrk g rk vH;Fkh ,o mld lgk;d nkuk dk ijh{kk d fy, v;kX; ?kkf"kr dj fn;k tk;xkA tk vH;Fkh lgk;d d fy, ik= g ,o ijh{kk e lgk;d dh lok; pkgr g] lko/kkuhiod bldk mYy[k vkuykbu vkonu&i= e vfuok; :i l djA ckn e fd;k x;k dkb Hkh vujk/k Lohdkj ;kX; ugh gkxkA
- ,d vH;Fkh d fy, lgk;d d :i e tk 0;fDr dk; djxk] og fdlh vU; d lgk;d d :i e viuh lok; ugh n ldxkA
- lgk;d fdlh Hkh 'k{kf.kd {k= dk gk ldrk gA
- vH;Fkh ,o mld lgk;d nkuk dk l;Dr :i l ;g opu i= nuk gkxk fd vH;Fkh lgk;d yu के लिए उपरोक्तानुसार दर्शाई गई निर्धारित पात्रता धारित करता है। पश्चात्वर्ती समय में विपरीत तथ्य ik; tku dh fLFkfr e tkudkjh fNiku d fy, vH;Fkh dh mEehnokjh ijh{kk d fdlh Hkh ide ij vFkok p;fur gku d i'pkr Hkh fujLr le>h tk;xhA
- tk vH;Fkh lgk;d dh lokvk dk mi;kx djr g] og ijh{kk dh iR;d ,d ?kV dh le;kof/k d fy, 20 fefuV vFkok tlh lykg nh tk;] vfrfjDr le; dk mi;kx dj ldxA

• vfrfjDr le; d fy, i thdr vH;fFk;k dk gh ;g NV inku dh tkoxhA vkuykbu vkonu iLrr djr le; vfrfjDr le; dh ekx dju gr i thdr vH;fFk;k dk gh vfrfjDr le; fn;k tk ldxk A vfrfjDr le; dh lfo/kk fLVe vk/kkfjr gku l ftu vH;fFk;k u bl lfo/kk gr i th;u ugh djk;k g] dk vfrfjDr le; dh vuefr fn;k tkuk ijh{kk vk;kftr dju okyh ,tlh d fy, lHko ugh gkxkA vr% ,l vH;Fkh ftUgku vfrfjDr le; inku dju d fy, i th;u ugh djk;k g] mUg ;g lfo/kk inku ugh dh tk ldxhA

¼2½ ykdkekVj fodykxrk ,o ljcy iYlh ¼efLr"d i{kk?kkr½ l xfl r vH;fFk;k d fy, **दिशा–निर्देश**

ykdkekVj fodykxrk ,o ljcy iYlh ¼efLr"d i{kk?kkr½ l xfl r vH;fFk;k d fy, tgk vH;Fkh dk fy[ku e vR;f/kd v{kerk gk] iR;d ,d ?kV d fy, 20 fefuV vFkok fu"iknu e /kheiu dh lhek d vk/kkj ij nh xb lykg d vulkj vfrfjDr le; fn;k tk ldxk] ijr mDr अक्षमता न्यूनतम 40 प्रतिशत होना चाहिए।

¼3½ nf"Vckf/kr vH;fFk;k d fy, fn'kk&funs'k

न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न–पत्र को मेग्नीफाईड फोंट में देखने का विकल्प puu dk fodYi gkxk rFkk ,l lHkh vH;fFk;k dk 20 fefuV ifr ?kVk vFkok ijh{kk d fy, tlh lykg gk] d vulkj vfrfjDr le; fn;k tk ldxkA

ऑनलाईन परीक्षा हेतु पेटर्न –

प्रथम चरण के लिए परीक्षा की संरचना (टेस्ट स्ट्रक्चर)

अनु.	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	भाषा	कुल अवधि
2.	संख्यात्मक योग्यता	40	40	प्रश्न अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषा में होगें।	45 मिनिट
3.	तर्कज्ञान क्षमता	40	40		
	कुल	80	80		

नोटः– प्रथम चरण से मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) हेतु कुल रिक्त पदों के 5 गुना तक अभ्यर्थी पात्र होंगे।

द्वितीय चरण के लिए परीक्षा की संरचना (टेस्ट स्ट्रक्चर)

क्र.	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	भाषा	कुल अवधि
1	तर्क शक्ति	40	50	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषा में होंगें।	2 घंटा
2	कम्प्यूटर ज्ञान	40	20		
3	सामान्य जागरूकता	40	40		
4	अंग्रेजी भाषा	40	40		
5	संख्यात्मक योग्यता	40	50		
	कुल	200	200		

नोट –

1. प्रत्येक गलत उत्तर के लिये प्राप्त अंकों में से 0.25 प्रतिशत अंक काटे जावेंगे। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ आधार पर होगा, जिसमें 5 विकल्प दिये जायेंगे। प्रश्न–पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा।
2. बैंकिंग सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर के पद हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। सफल उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जावेगा।

3. उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची की वैद्यता प्रतीक्षा सूची के प्रकाशन से एक वर्ष तक रहेगी।

अंक अर्जित करने की प्रक्रिया :

ऑनलाईन परीक्षा में निम्न प्रक्रिया अपना कर अंक अर्जित किये जा सकते हैं :—

(1) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नों के दिये गये सही उत्तर से प्राप्त अंकों में से गलत उत्तर के लिए पेनल्टी प्रभारित करते हुए सुधरे हुए अंक प्राप्त होंगे।

(2) उपरोक्तानुसार प्राप्त किये गये अंकों का विभिन्न सत्रों में संपादित परीक्षाओं में परीक्षा के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए आंशिक रूप से समायोजित (equated) किया जा सकेगा।

* **विभिन्न परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को दृष्टिगत रखकर आधार अंक निर्धारित होंगे, जिनके आधार पर किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थी को तद्नुरूप समायोजित (equated) अंक प्राप्त होंगे।**

□(3) सभी टेस्ट में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों तथा कुल प्राप्त अंकों को दशमलव के बाद में दो अंकों तक गणना में लिया जायेगा।

नोटः— कट—ऑफ मार्क संबंधी मापदण्ड केवल मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) हेतु लागू होंगे।

प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्तांकों को अंतिम चयन हेतु गणना में नहीं लिया जावेगा। उम्मीदवार का अंतिम रूप से चयन द्वितीय चरण (मुख्य परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जायेगा। अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण (मुख्य परीक्षा) में योग्य/उत्तीर्ण होने के लिये समग्र रूप से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक एवं अंग्रेजी भाषा के प्रश्न—पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा

द्वितीय चरण – पात्रता अंक दो स्तर पर निर्धारित किये जायेंगे :

(1) अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर

(2) कुल प्राप्तांक के आधार पर

अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों, आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता एवं चयनित जिला बैंकों में रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। उम्मीदवार को आवेदन के समय सभी 37 जिला सहकारी बैंकों में से नियुक्ति हेतु अपनी प्राथमिकता के आधार पर जिला बैंकों के नाम का उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा। सफल उम्मीदवारों को उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची एवं उनके द्वारा चयनित जिला बैंक में आवेदित पद की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जावेगा। उम्मीदवार द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई अपनी पंसद की बैंक में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

पहचान सत्यापन :

परीक्षा हाल में अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण के लिए प्रवेश पत्र के साथ पेन कार्ड/पास पोर्ट/ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आईडी कार्ड/आधार कार्ड/फोटो युक्त बैंक पास बुक/मध्य प्रदेश के राजपत्रित अधिकारी के कार्यालयीन लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान—पत्र/जनप्रतिनिधि द्वारा कार्यालयीन लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान—पत्र/कालेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम फोटोयुक्त पहचान पत्र/कर्मचारी पहचान—पत्र/बार काउंसिल द्वारा जारी फोटोयुक्त आई.डी.कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति तथा छाया प्रति परीक्षा निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की पहचान का प्रमाणीकरण उसके द्वारा प्रवेश पत्र, उपस्थिति सूची एवं प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेजों के आधार पर किया जावेगा । अभ्यर्थी की पहचान का उचित एवं संतोषजनक प्रमाणीकरण न होने अथवा इस संबंध में कोई संशय की स्थिति निर्मित होने एवं उचित निराकरण न होने की दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। राशन कार्ड अभ्यर्थी की पहचान हेतु विधिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

नोट : अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा के समय मूल फोटो पहचान पत्र, प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी को

ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी । अभ्यर्थी ध्यान रखें कि कॉल लेटर पर दर्शित नाम (रजिस्ट्रेशन के दौरान उपलब्ध कराया गया) का फोटो पहचान पत्र से पूर्णतः मिलान होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा विवाह के पश्चात् अपना प्रथम/मध्य/अंतिम नाम बदल लिया गया है, का विशेष रूप से उल्लेख करें। यदि प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र में उल्लेखित नाम में कोई अंतर पाया जाता है, तो उक्त अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम में परिवर्तन किया गया है, तो संबंधित अभ्यर्थी द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र/मूल विवाह प्रमाण–पत्र/नाम परिवर्तन से संबंधित गजट नोटिफिकेशन की मूल प्रति/शपथ–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।

परीक्षा केंद्र का चयन :

ऑन लाईन परीक्षा विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी। आवेदक निम्न केन्द्रों में से उनकी पसंद के कुल 6 केंद्रों (मध्यप्रदेश से अधिकतम तीन केंद्र) का चयन कर सकेंगे :–

क्रमांक	**प्रदेश का नाम**	**केंद्र का नाम**
1.	उत्तर प्रदेश	इलाहबाद
2.	उत्तर प्रदेश	झांसी
3.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
4.	गुजरात	अहमदाबाद
5.	गुजरात	वडोदरा
6.	महाराष्ट्र	नगपुर
7.	महाराष्ट्र	नसिक
8	दिल्ली	दिल्ली/एनसीआर
9	मध्यप्रदेश	बालाघाट
10	मध्यप्रदेश	बैतूल
11	मध्यप्रदेश	भोपाल
12	मध्यप्रदेश	छतरपुर
13	मध्यप्रदेश	छिंदवाड़ा
14	मध्यप्रदेश	दमोह
15	मध्यप्रदेश	गुना
16	मध्यप्रदेश	ग्वालियर
17	मध्यप्रदेश	इंदौर
18	मध्यप्रदेश	जबलपुर
19	मध्यप्रदेश	खंडवा
20	मध्यप्रदेश	खरगोन
21	मध्यप्रदेश	मंदसौर
22	मध्यप्रदेश	रतलाम
23	मध्यप्रदेश	रीवा
24	मध्यप्रदेश	सागर
25	मध्यप्रदेश	सतना
26	मध्यप्रदेश	शहडोल
27	मध्यप्रदेश	सीधी
28	मध्यप्रदेश	उज्जैन
29	छत्तीसगढ़	रायपुर
30	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
31	छत्तीसगढ़	भिलाई

1. आन लाईन परीक्षा संबंधित प्रवेश पत्र में दर्शित स्थान पर आयोजित की जावेगी।
2. परीक्षा केन्द्र/स्थान/तिथि/सत्र में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी भी परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने या नये परीक्षा केन्द्र को सम्मिलित करने का प्रशासनिक अधिकार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक को होगा।
4. किसी उम्मीदवार को मध्यप्रदेश में या प्रदेश के बाहर स्थित परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का अधिकार भी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक को होगा।
5. अभ्यर्थी को आंवटित परीक्षा केन्द्र पर स्वयं की जोखिम एवं खर्च से उपस्थित होना होगा और उस दौरान घटित होने वाली किसी भी दुर्घटना/क्षति के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जिम्मेदार नही होगा।
6. उम्मीदवार द्वारा अपनी पसंद से चयन किया गया परीक्षा केन्द्र अंतिम होगा।
7. यदि किसी परीक्षा केन्द्र का चयन निर्धारित क्षमता से कम या अधिक संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में म.प्र.राज्य सहकारी बैंक को ऐसे परीक्षा केन्द्र के अभ्यर्थियों को पास के किसी अन्य परीक्षा केन्द्र में स्थानान्तरित करने का अधिकार होगा।
8. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रथम चरण की परीक्षा के लिये 6 परीक्षा केन्द्र (मध्यप्रदेश से अधिकतम 3 परीक्षा केन्द्र) का चयन करना होगा।
9. मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या सीमित होगी। जिसका निर्धारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा बाद में किया जावेगा।

<u>सामान्य नियम व शर्तेः–</u>

1- vH;Fkh }kjk fu;e ,o 'krk dk lko/kkuhiod v/;;u fd;k tkuk pkfg; A
2- vi.k vkonu Lohdkj ugh fd; tkoxA
3- vkonu vkuykbu vkef=r fd; tk jg g] vr% ;g ekudj fd vH;Fkh okfNr ;kX;rk /kkfjr djrk g] d vk/kkj ij ijh{kk e lfEefyr gku dh vuefr nh tk jgh g] ijr vH;Fkh dk p;u gku ij ml fu;fDr rHkh inku dh tkoxh] tc mld }kjk vkuykbu vkonu e mYyf[kr tkudkjh@nLrkot dh ey ifr l{ke vf/kdkjh d le{k iek.khdj.k gr iLrr dj nh tkoA
4- अभ्यर्थी का चयन आई.बी.पी.एस. द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट एवं प्रदान की गई वरीयता के आधार पर किया जावेगा। यदि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थी की आयु की वरिष्ठता के आधार पर उसका चयन किया जायेगा।
5- ;fn fdlh Hkh le; ;g lKku e vkrk g fd vH;Fkh vkonu&i= iLrr djr le; mld द्वारा दी गई आवश्यक ;kX;rkvk dh ifr ugh djrk Fkk] rk mldk vkonu&i= fdlh Hkh le; vFkok ;fn mldk p;u Hkh gk x;k gk rk Hkh fujLr dj fn;k tk;xkA
6- e/यप्रदेश को–ऑपरेटिव सोसायटी नियम 1962 d fu;e 44 d vrxr ftyk lgdkjh dnh; cd d lpkyd eMy d ifjokj d lnL; lcf/kr ftyk lgdkjh dnh; cd d fjDr ink ij Hkrh gr vk;kftr ijh{kk e Hkkx yu gr ik= ugh gkxA
7- इस पद पर प्रथमतः नियुक्ति 12 माह की परिवीक्षावधि (प्रोबेशन) पर की जावेगी, परन्तु नियुक्तिकर्ता अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो परिवीक्षावधि में 6–6 माह की वृद्धि की कर सकेगा, किन्तु यह अवधि दो वर्ष से अधिक नही होगी। परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में बैंक कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8- p;fur vH;Fkh dk ikc'kul d :i e mifLFkfr d iर्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक vkipkfjdrk; ;Fkk 0;fDrxr ifrHkfr] opu i= vkfn iLrr djuk gkxk A
9- p;fur mEehnokj dk ifyl foHkkx l pfj= lR;kiu l lcf/kr ifronu vikIr jgu dh n'kk e mEehnokj }kjk fu/kkfjr ik:i e 'kiFk i= iLrr dju ij l'kr fu;fDr i= tkjh fd;k tk ldxk] ijr fu;fDr fnukd l 90 fnol dh le; lhek e ifyl foHkkx l pfj= lR;kiu iek.k i= ikIr ugh gkrk g vFkok ifyl }kjk if"kr ifronu lrk"ktud ugh tk;k जाता है तो उसका नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर fn;k tk;xkA

10- vH;Fkh dh l{ke ikf/kdkjh l fu/kkfjr ik:Ik e efMdy fQVul iek.k&i= ikIr gku d i'pkr gh fu;fDr gr mifLFkfr ekU; dh tk;xhA

11- राज्य शासन/केन्द्र शासन/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में vH;Fkh dh p;fur in ij fu;fDr Lohdkj ugh dh tkoxhA

12. mEehnokj dk fu;fDr fnukd l U;ure ,d o"k dh le;kof/k d fy, lok nuk vfuok; gkxkA

13. अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। आरक्षण के लाभ के लिए उन्हें मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी से तदाशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14- उम्मीदवारों की पात्रता लिखित परीक्षा, अन्य परीक्षाओं के आयोजन एवं चयन आदि मामलों में म.प्र. राज्य सहकारी बैंक का निर्णय अंतिम होगा और यह सभी उम्मीदवारों के लिये बंधनकारी होगा, इस बारे में किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जावेगा।

15. यदि परीक्षा एक सत्र से अधिक बार आयोजित की जाती है तो विभिन्न सत्रों में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को प्रश्न–पत्र के कठिनाई स्तर को आधार मानकर आंशिक रूप से समायोजित किया जा सकेगा। किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों को पावर लोड की उपलब्धता में कमी एवं तकनीकी समस्या के कारण एक सत्र से अधिक में शामिल होना पड़ सकता है।

16- आईबीपीएस, मुंबई द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में दिये गये सही एवं गलत उत्तरों का विश्लेषण किया जावेगा, एवं यह देखा जावेगा कि विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये सही एवं गलत उत्तरों में किसी प्रकार की समानता तो नही है। यदि बहुतायत रूप में ऐसा पाया जाता है तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किये जा सकेंगे।

17. **दुराचरण/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी अभ्यर्थियोंके विरूद्ध कार्यवाही :**

अभ्यर्थियों के हित में सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाईन जानकारी देते समय ऐसी कोई जानकारी न दें, जो गलत, कूटरचित अथवा छेड़छाड़ कर तैयार की गई हो। यदि परीक्षा, साक्षात्कार अथवा भर्ती की आगामी प्रक्रिया में वह निम्नानुसार कृत्यों का दोषी पाया जाता है :–

1. अनुचित साधनों का उपयोग
2. किसी अन्य व्यक्ति के नाम से परीक्षा देना या किसी अन्य व्यक्ति का अवैधानिक रूप से उपयोग करना,
3. परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान दुर्व्यवहार या परीक्षा की सामग्री का किसी भी उद्देश्य से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी भी साधन से यथा मौखिक या लिखित में या इलेक्ट्रानिक माध्यम से या किसी अन्य यांत्रिकी माध्यम से प्रकटीकरण, प्रकाशन, प्रेषण करना, संकलन, या परीक्षा की सामग्री एकत्र करना।
4. परीक्षा में उम्मीदवारी हेतु किसी भी अनुचित तरीके का इस्तेमाल करना ।
5. परीक्षा में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करना ।
6. परीक्षा/साक्षात्कार में मोबाइल अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रानिक संसाधन को रखना ।

ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ निम्न के लिए भी स्वयं उत्तरदायी होगा :

1) परीक्षा संबंधी उम्मीदवारी के लिए अपात्र किया जाना
2) बैंक द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी सीमित समय के लिए अथवा स्थाई रूप से अपात्र किया जाना
3) यदि बैंक सेवा में उपस्थित हो चुका है, तो सेवापृथक किया जाना

18- ,lk dkb Hkh 0;fDr] tk ,l fdlh vijk/k d fy, ftle ufrd v|%iru vrofyr gk ;k efgykvk d fo:) fdlh vijk/k e lfylr jgk gk ;k nk"kh Bgjk;k x;k gk ;k ftl ,l fdlh vijk/k d fy, nfMr fd;k x;k gk] bl in ij fu;fDr d fy, ik= ugh gkxk] परन्तु यह नियम उन प्रकरणों में लागू नहीं होगा, जबकि ऐसे कृत्य अथवा दंड को घटित हुए 5 वर्ष या उससे अधिक की समयावधि व्यतीत हो चुकी हो।

19- ijh{kk 'kYd dk Hkxrku gku ij mlI okil ugh fd;k tk;xkA

20- fdlh vH;Fkh }kjk vkonu i= e vlR; tkudkjh nu@fdlh ifØ;k dk mYy?ku dju vkfn dh tkudkjh p;u ifØ;k d fdlh Hkh nkj e lkeu vku ij ,I vH;Fkh dk vkxkeh p;u ifØ;k d fy; v;kX; ?kkf"kr dj fn;k tkoxk ,o mI e/;in'k jkT; lgdkjh cd }kjk Hkfo"; e gku okyh Hkrh ifØ;kvk e Hkkx yu I Hkh ofpr fd;k tk ldrk gA ;fn mDr tkudkjh vH;Fkh d p;u gku d i'pkr lKku e vkrh g rk ,I vH;Fkh dk fu;fDr fnukd I gh v;kX; ?kkf"kr dj fn;k tk;xkA

21- ijh{kk vk;kftr dju d nkjku dfri; leL;k, mRiUu gku I ijh rjg budkj ugh fd;k tk ldrk g] ftld dkj.k ijh{kk d lpkyu e ck/kk mRiUu gk ldrh g ,lh fLFkfr e ijh{kk d lpk: :i I lpkyu gr lHkh lHko i;kl fd; tkox ftle ijh{kk dUn vU;= LFkkukUrfjr dju ;k fQj I ijh{kk yuk Hkh 'kkfey gA bl lc/k e e/;in'k jkT; lgdkjh cd }kjk fy;k x;k fu.k; vfre gkxk ,o lHkh vH;fFk;k d fy; c/kudkjh gkxk] tk vH;Fkh bl fu.k; dk Lohdkj ugh djx o ijh{kk d fy; v;kX; ?kkf"kr fd; tk ldr gA

22- fuEufyf[kr 37 ftyk lgdkjh dUnh; cdk e Hkrh gr vku ykbu vkonu fd;k tk ldxkA vH;Fkh dk fu;fDr gr viuh ikFkfedrk d vk/kkj ij ftyk cdk d uke dk mYy[k vkonu i= e djuk gkxkA lQy vH;fFk;k dk p;u vkuykbu ijh{kk e mud }kjk ikIr vdk] vkonu i= e nh xb ikFkfedrk ,o p;fur ftyk cdk e fjDr ink dh miyC/krk d vk/kkj ij fd;k tkoxkA

क्रमांक	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का नाम	जिला बैंक का नाम
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैंक, बालाघाट
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैंक, बैतूल
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, भिण्ड
4	भोपाल सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड	जिला बैक, भोपाल
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, छतरपुर
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, छिन्दवाडा
7	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, दमोह
8	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, दतिया
9	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, देवास
10	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, धार
11	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, गुना
12	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, ग्वालियर
13	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैंक,होशगांबाद
14	इन्दौर प्रीमियर कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड	जिला बैंक, इन्दौर
15	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, जबलपुर
16	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, झाबुआ
17	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, खण्डवा
18	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, खरगोन
19	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, मण्डला
20	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, मन्दसौर
21	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, नरसिंहपुर
22	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, पन्ना
23	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, रायसेन
24	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, राजगढ
25	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, रतलाम
26	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, रीवा
27	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, सागर

28	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, सतना
29	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, सीहोर
30	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, सिवनी
31	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, शहडोल
32	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, शाजापुर
33	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, शिवपुरी
34	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, सीधी
35	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, टीकमगढ़
36	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, उज्जैन
37	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	जिला बैक, विदिशा

23. चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम अथवा नियुक्ति के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में पंजीयक, सहकारी संस्थाऍं, म0प्र0 द्वारा किया गया निराकरण उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

नोटः—

हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के विज्ञापन के किसी भी बिन्दु में अंतर की स्थिति में विज्ञापन के अंग्रेजी स्वरूप को ही अंतिम रूप से मान्य किया जायेगा।

प्रभारी प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित., भोपाल